

14-12-2024

नेशनल लोक अदालत (खण्डपीठ क्रमांक 11)

कार्यलय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला आगर मालवा म.प्र.
के पृष्ठांकन क्रमांक 03/नेश. लोक. अदा.
/जिविसेप्रा/193/2024 आगर मालवा म.प्र. दिनांक 11.12.2024
के पालन मे लोक अदालत आयोजित की गयी।

आवेदिका द्वारा अधिवक्ता श्री एस आई कुरेशी।

अनावेदक पूर्व से एकपक्षीय।

प्रकरण आवेदिका साक्ष्य हेतु नियत है।

आवेदिका एवं उसके अधिवक्ता श्री एस आई कुरेशी द्वारा व्यक्त किया गया कि वे प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते हैं।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदिका द्वारा यह आवेदन पत्र धारा 12 घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनावेदक के विरुद्ध पेश किया गया था। प्रकरण अभी आवेदिका साक्ष्य हेतु नियत था। आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण न चलाने के संबंध में आदेश पत्रिका के रिमार्क कॉलम में लेख किया जा चुका है।

ऐसी स्थितियों में प्रस्तुत आवेदन पर कोई कार्यवाही की जाना शेष नहीं रहती है। अतः प्रकरण को समाप्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम उचित समयावधि में सीआईएस पर दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार प्रेषित किया जाए।

शिवसिंह सिसौदिया
सुलहकर्ता सदस्य
खण्डपीठ क्रमांक 11

वंशिता गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सुसनेर जिला आगर मालवा म.प्र.